

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर  
पत्रांक-3406 / मीरजापुर/33 दिनांक, अप्रैल 22 2017।

सेवा में,

अधिकासी अभियन्ता  
विद्युत प्रेषण खण्ड,  
उ0प्र0, पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लि0,  
पथरहिया रोड, मीरजापुर।

विषय- 132 के0वी0 जिगना-दादर कलां ट्रान्समिशन लाइन के निर्माण हेतु 6.5475 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति प्रस्ताव।

संदर्भ- प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Trans/24154/2017 के क्रम में इस कार्यालय का पत्रांक-3345/मी0/33, दिनांक-15.04.2017।

महोदय,

विषयक के सम्बन्ध में उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसके माध्यम से प्रस्ताव की कमियो को पूर्ण करने हेतु आपसे अनुरोध किया गया था। पुनः आपके पत्रांक-448/वि0प्रे0ख0(मी)/यूपीनेडा, दिनांक-20.04.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये संसोधित प्रस्ताव में निम्नलिखित कमिया है जिन्हे पुर्ण करने हेतु प्रस्ताव से भिन्न किसी अधिकारी/कर्मचारी को किसी भी कार्यालय दिवस में उपस्थित होकर प्रस्ताव की कमियो को पूर्ण करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त कर लें तथा पुर्ण प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

1. साइड प्लान मैप।
2. संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट।
3. लैण्ड शेड्यूल
4. प्रस्तावित परियोजना से लाभान्वित ग्रामों परिवारों, जनसंख्या व विवरण।
5. अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम के सम्बन्ध में उप खण्ड स्तरीय, जिलास्तरीय एवं जिलाधिकारी, मीरजापुर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।
6. पावर आफ एटार्नी।

(के0के0पाण्डे)

प्रभागीय वनाधिकारी  
मीरजापुर, वन प्रभाग मीरजापुर

संख्या-3406 अ/समदिनांक

प्रतिलिपि- क्षेत्रीय वनाधिकारी, लालगंज को प्रस्ताव की प्रति इस आशय से प्रेषित कि प्रस्ताव का परीक्षण कर प्रस्ताव की कमियो को पुर्ण करते हुए, प्रभावित वन भूमि की आराजी को चिंहित करते हुए उक्त परियोजना के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुने अर्थात ( 2×6.5475 हे0) अवनत भूमि का सर्कुलर जी0पी0एस0, पालिगॉन, जियोरिफरेंस मैप, डिजिटल मैप उपलब्ध करावें। (संलग्नक- प्रस्ताव)

(के0के0पाण्डे)

प्रभागीय वनाधिकारी

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

पत्रांक 3345/मीरजापुर/ 33 दिनांक, मीरजापुर अप्रैल 15 2017  
सेवा में,

अधिकासी अभियन्ता  
इलेक्ट्रीक ट्रान्समिशन डिविजन (UPPTCL) पथरहिया रोड  
मीरजापुर ।

विषय - 132 के0वी0 जिगना-दादर कलां ट्रान्समिशन लाइन के निर्माण हेतु 6.5475 हेक्टेयर आरक्षित  
वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति प्रस्ताव ।  
संदर्भ - प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Trans/24154/2017  
महोदय,

विषयक के सम्बन्ध में आप द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में निम्नलिखित अभिलेख अपेक्षित है। जिसके लिये आपके कार्यालय के प्रस्ताव से भिन्न अवर अभियन्ता श्री नवीन पाण्डेय, को प्रस्ताव में अपेक्षित अभिलेख एवं सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु अपेक्षित अभिलेख/सूचना अब तक इस कार्यालय को नहीं उपलब्ध कराया गया जिसके कारण प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही नहीं हो पा रही है।

- 1- 1:50000 स्केल मैप पर वनभूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप उपलब्ध करवायें जिस पर परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि चिन्हित हो।
- 2- साइड प्लान मैप ।
- 3- संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट।
- 4- लैण्ड शेड्यूल ।
- 5- वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृती।
- 6- प्रस्तावित परियोजना से लाभान्वित ग्रामों परिवारों, जनसंख्या व विवरण।
- 7- मानक शर्तें।
- 8- लागत लाभ का विश्लेषण ।
- 9- N.P.V. मूल्य भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में वचन बद्धता प्रमाण पत्र।
- 10- अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम के सम्बन्ध में उप खण्ड स्तरीय, जिलास्तरीय एवं जिलाधिकारी, मीरजापुर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।
- 11- मलवा उत्सर्जन/निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र ।
- 12- मलवा निस्तारण हेतु गैर वनभूमि उपलब्धता हेतु बचनबद्धता प्रमाण पत्र।
- 13- वैकल्पिक भूमि न होने का प्रमाण पत्र ।
- 14- भूमि का बाजार मूल्य/सर्किल रेट।
- 15- लीज अवधि प्रमाण पत्र।
- 16- पावर आफ एटार्नी।
- 17- प्रस्ताव वाइन्डिंग/रिंग फाइल में प्रस्तुत करें।
- 18- प्रस्तावित भूमि का डिजिटल मैप।
- 19- क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित समतुल्य गैर वन भूमि की खतौनी, जियोरिफरेन्ड मैप, डिजिटल मैप एवं चिन्हांकित टोपोशीट उपलब्ध करावें।

किसी भी कार्यालय दिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि को भेजकर प्रस्ताव प्राप्त कर संशोधित प्रस्ताव पांच प्रतियों उपलब्ध करावें।

प्रभागीय वनाधिकारी  
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

संख्या 3345 अ/समदिनांक

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी, लालगंज को प्रस्ताव की प्रति मूल में इस आशय से प्रेषित कि प्रस्ताव का स्थलीय परिक्षण कर प्रस्ताव पूर्ण करते हुये उप प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर के माध्यम से उपलब्ध करावें। ध्यान रहे प्रकरण में आपके स्तर से कोई विलम्ब न हो। अन्यथा इसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

प्रतिलिपि उप प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी  
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर